संख्या-15/2023/604/तीस-4-2023-99/98

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांकः 27 अप्रैल, 2023

विषयः- निजी क्षेत्र में स्थापित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालन के लिये मान्यता दिये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जहां प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में सड़क यातायात का विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान है और मोटर गाड़िया प्रदेश के आर्थिक विकास एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आवश्यक अंग बन गई है, वहां प्रदेश में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं एवं इनमें मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या भी चिन्ताजनक बनी हुई है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये प्रतिबद्ध है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त निजी क्षेत्र में स्थापित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालन के लिये मान्यता दिये जाने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निम्नवत निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

1. **प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने हेतु आवश्यक न्यूनतम आधारभूत संरचना-**
दो पहिया यान/हल्के मोटरयान हेतुः-

क्र0सं0	**कक्ष**	**क्षेत्रफल**
1	स्वागत कक्ष कम कार्यालय कक्ष, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर (प्रिंटर सहित) इत्यादि ।	न्यूनतम 180 वर्ग फीट
2	व्याख्यान कक्ष (न्यूनतम 30 व्यक्तियों हेतु)	न्यूनतम 300 वर्ग फीट
3.	मॉडल, चार्ट तथा उपकरण	न्यूनतम 300 वर्ग फीट
4.	सीमुलेटर हेतु कक्ष (एक प्रकार के वाहन हेतु)	न्यूनतम 150 वर्ग फीट
5.	पार्किंग	सभी यानों की पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए।
6	व्याख्यान कक्ष	मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल का व्याख्यान कक्ष फर्नीचर, कम्प्यूटर सहित मल्टीमीडिया प्रोजक्टर युक्त होना चाहिए तथा सभी कक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सी.सी.टी.वी. कैमरों युक्त होना चाहिए, जिसकी रिकार्डिंग संस्थान स्वामी को एक माह तक सुरक्षित रखनी होगी।
7	शौचालय	शौचालय हेतु उपयुक्त स्थान होना चाहिए।

मध्यम/भारी वाहन हेतुः-

क्र0सं0	**कक्ष**	**क्षेत्रफल**
1	स्वागत कक्ष कम कार्यालय कक्ष, जिसमें इंटरनेट कनेक्शन, कम्प्यूटर (प्रिंटर सहित) इत्यादि ।	न्यूनतम 180 वर्ग फीट
2	व्याख्यान कक्ष (न्यूनतम 30 व्यक्तियों हेतु)	न्यूनतम 300 वर्ग फीट
3.	मॉडल, चार्ट तथा उपकरण	न्यूनतम 300 वर्ग फीट
4.	सीमुलेटर हेतु कक्ष (एक प्रकार के वाहन हेतु)	न्यूनतम 200 वर्ग फीट
5.	पार्किंग	सभी यानों की पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होना चाहिए।
6	व्याख्यान कक्ष	मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल का व्याख्यान कक्ष फर्नीचर, कम्प्यूटर सहित मल्टीमीडिया प्रोजक्टर युक्त होना चाहिए तथा सभी कक्ष सी.सी.टी.वी. कैमरों युक्त होना चाहिए, जिसकी रिकार्डिंग संस्थान स्वामी को एक माह तक सुरक्षित रखनी होगी।
7	शौचालय	शौचालय हेतु उपयुक्त स्थान होना चाहिए।

<u>टिप्पणी</u>:-

1. मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के द्वारा वाहन पार्किंग हेतु वाहनों की श्रेणी (हल्के/मध्यम/भारी वाहन) के अनुसार सुरक्षित एवं उपयुक्त पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, जो स्कूल परिसर में अथवा स्कूल से अधिकतम दो किलोमीटर की दूरी के भीतर होगी। पार्किंग किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगी। पार्किंग स्कूल की स्वयं की भूमि पर अथवा किराये की भूमि पर होगी। पार्किंग परिसर को जाने वाले मुख्य मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 07 मीटर होना अनिवार्य है।
2. यदि दोनों प्रकार के वाहन (एचएमवी/एलएमवी) के लिए आवेदन किया जाता है तो सिमुलेटर कक्ष 350 वर्गफीट का होगा।
3. मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आवेदन पत्र में दिये गये कार्यस्थल पर ही संचालित किया जाएगा। निर्धारित कार्यस्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर संबंधित स्कूल अथवा स्कूल संबंधी गतिविधियों को संचालित नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अपने निर्धारित कार्यस्थल के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर संचालित पाया जाता है तो संबंधित स्कूल के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही संस्थित की जाएगी।
4. स्कूल के पते में अक्षांश/देशान्तर का उल्लेख अनिवार्य होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. **प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहन के प्रकार-**

वाहन चालन के प्रशिक्षण हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 31 में वर्णित व्यवस्थानुसार आवेदकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जाएगा।

प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त वाहन का प्रयोग केवल प्रशिक्षु को प्रशिक्षण देने के लिए किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के समय एक प्रशिक्षक तथा एक प्रशिक्षु वाहन में बैठेगा, मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल में निम्न वाहन प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त किये जायेंगे-

दो पहिया यान हेतुः- मोटर साइकिल गेयर सहित/गेयर रहित

ई-रिक्षा/कार्ट हेतुः- ई-रिक्षा/कार्ट

हल्के मोटरयान हेतुः- कार

मध्यम/भारी वाहन हेतुः- भारी यात्री/माल वाहन

3. **प्रशिक्षण की अवधि एवं विषयवस्तु-**

मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 31 में उल्लिखित वाहनों की श्रेणी हेतु निर्धारित प्रशिक्षण अवधि के अनुसार आवेदकों को निश्चित अवधि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा इसी नियम में उल्लिखित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

4. **स्कूल के अनुरक्षण हेतु वित्तीय स्थिति एवं परफार्मेंस सिक्योरिटी के संबंध में-**

(i) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24(3)(III) में प्राविधानित है कि प्रस्थापित किये जाने वाले स्कूल या स्थापित स्कूल के पास अनुरक्षण बनाए रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय स्त्रोत उपलब्ध होना चाहिए।

(ii) मोटर ड्राइविंग स्कूल के आवेदक/संचालक को रूपये 1.00 लाख की बैंक गारन्टी/बैंक एफडीआर सम्बन्धित उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) के कार्यालय में लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास जमा करनी होगी। बैंक गारन्टी/बैंक एफडीआर अवधि 5 वर्ष 6 माह की होगी।

(iii) बैंक गारन्टी/बैंक एफडीआर किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी के नाम से जारी किया होना चाहिए। केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24 से 27 में उल्लिखित आवश्यक शर्तों का उल्लंघन करने पर बैंक गारण्टी/बैंक एफडीआर जब्त करने का अधिकार लाइसेंसिंग प्राधिकारी में निहित होगा। बैंक गारण्टी/बैंक एफडीआर जब्त करने से पूर्व लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के संचालक को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

5. **प्रशिक्षण स्कूल में तैनात कार्मिकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता-**

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24(3)(VIII) में आवेदक या अनुदेश देने के लिए उसके द्वारा तैनात किये जाने वाले कार्मिकों की न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी अर्हता धारित करना आवश्यक है। आवेदक स्वयं भी प्रशिक्षक हो सकता है। कार्मिकों की अर्हता का प्रमाणपत्र भी आवेदक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

Driving Training School में संचालित प्रत्येक वाहन हेतु न्यूनतम एक प्रशिक्षक होना चाहिए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6. **लाइसेंसिंग प्राधिकारी**-

केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24 से 28 हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी प्रदेश में उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) निर्धारित हैं।

7. **संस्थान के निरीक्षण के संबंध में**-

संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा परिक्षेत्र में तैनात सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) तथा जनपद में तैनात संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा संस्थान का निरीक्षण प्रत्येक त्रैमास में न्यूनतम एक बार कराया जायेगा।

8. **अन्य नियम/शर्तें**-

(1) मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हेतु आवेदन स्वयं/संस्था/एनजीओ/ सोसाइटी/पार्टनरशिप फर्म/निजी फर्म/पब्लिक फर्म के रूप में किया जा सकेगा। स्वयं के अतिरिक्त अन्य की स्थिति में आवेदन करने पर संबंधित संस्था का दस्तावेज नियमानुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 24(3)(II) में निम्न प्राविधान किया गया है:-

"वह परिसर जहां स्कूल या स्थापन को चलाने का प्रस्ताव है या तो आवेदक के स्वामित्व में है या उसके द्वारा पट्टे पर लिया गया है या उसके नाम में भाड़े पर लिया गया है और उसमें [व्याख्या कराने और मॉडलों के प्रदर्शन] के लिए, चालन में अनुदेश देने के लिए उपयोग किये जाने के लिए अभिप्रेत यानों के लिए पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र के अतिरिक्त, पर्याप्त स्थान हैः

परन्तु इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व मोटर यानों के चलाने में अनुदेश देने वाले या उनसे संयुक्त विषयों पर स्कूल या स्थापनों के सम्बन्ध में अनुज्ञापन प्राधिकारी उसी परिसर में जहां स्कूल या स्थापन छः मास की सीमित कालावधि के लिए बना हुआ है, इस तथ्य के होते हुए भी कि परिसर इस खण्ड में अधिकथित शर्तों को पूरा नहीं करता है अनुदेश प्रसुविधाओं के संचालन करने की अनुज्ञा दे सकेगा;"

(3) मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल में प्रयुक्त वाहन के दोनों तरफ व आगे-पीछे (मोटर साईकिल को छोड़कर) मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल का नाम, पता (थाना सहित), फोन नम्बर, ई-मेल आई0डी0 अंकित होना चाहिए। वाहन पर रिफ्लेक्टिव टेप लगा होगा। वाहन में निम्न प्रपत्र अनिवार्य रूप से रखने होंगे-

i. वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र।
ii. वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र।
iii. वैध इंश्योरेन्स प्रमाण पत्र।
iv वैध फिटनेस प्रमाण पत्र।
v मार्ग कर की देयता का प्रमाण पत्र।
vi प्रशिक्षक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस।

(4) मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल में संचालित वाहन (मोटर साईकिल, ई-रिक्शा/कार्ट को छोड़कर) दोहरी नियंत्रण प्रसुविधा से युक्त होनी चाहिए तथा वाहन जिससे प्रशिक्षण दिया जा रहा हो, संस्थान के नाम से पंजीकृत होनी चाहिए तथा केवल प्रशिक्षण हेतु ही प्रयोग होनी चाहिए।

(5) स्थापित होने वाले नवीन Motor Driving Training School में प्रथम बार प्रशिक्षण हेतु प्रस्तुत होने वाले वाहन की आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा संचालित रहने की अधिकतम आयु 20 वर्ष होगी। उक्त के अतिरिक्त वाहन की आयुसीमा के संबंध में सड़क

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लागू किये गये प्रतिबन्ध प्रभावी होंगे। एनसीआर के जनपदों में निर्धारित वाहन संचालन के मानकों के आधार पर ही वाहन का संचालन किया जा सकेगा।

(6) डी0टी0टी0आई0 (ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट)/आई0डी0टी0आर0 (इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग रिसर्च) तथा ए0डी0टी0सी0 (एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर) स्थापित होने वाले जनपदों में इन संस्थाओं के संचालन की तिथि से 06 माह की अवधि में पूर्व से संचालित मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल में मध्यम/भारी वर्ग के वाहनों का प्रशिक्षण प्रतिबन्धित होगा। केवल दो पहिया/ ई-रिक्शा/कार्ट तथा लाइट मोटर व्हीकल (एल0एम0वी0) वाहनों का प्रशिक्षण अनुमन्य होगा।

(7) मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल का संचालक अपने संस्थान में नियुक्त किये गये प्रशिक्षक का नियुक्ति प्रमाण पत्र व प्रशिक्षक का योगदान रिपोर्ट की प्रति लाईसेंसिंग अथॉरिटी (उप परिवहन आयुक्त, परिक्षेत्र) को प्रस्तुत करेगा तथा प्रत्येक एक वर्ष के अन्तराल में प्रशिक्षक की सेवा का नवीनीकरण करेगा तथा इसकी सूचना लाईसेंसिंग अथोरिटी (उप परिवहन आयुक्त, परिक्षेत्र) को प्रस्तुत करेगा।

(8) किसी प्रशिक्षक द्वारा नौकरी से त्याग पत्र देने की स्थिति में भी दूसरे प्रशिक्षक की नियुक्ति करने पर उक्त बिन्दु 8(7) में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन करेगा।

(9) Driving Training School संस्थान के स्वामी की मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर उत्तराधिकारी का नाम लाईसेंस पर अंकित किया जायेगा। एक से अधिक उत्तराधिकारी होने की दशा में सभी उत्तराधिकारियों से एक शपथ पत्र प्राप्त करते हुए किसी एक उत्तराधिकारी के नाम संस्थान का लाईसेंस जारी किया जा सकेगा।

(10) ड्राइविंग स्कूल संचालक द्वारा प्रशिक्षण के दौरान मार्ग पर वाहन चलाते समय नियमों के अनुसार सभी आवश्यक सावधानियों का ध्यान रखा जाएगा।

(11) इस मानक संचालन प्रक्रिया के लागू होने की दिनांक के पूर्व से संचालित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को इस मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक व्यवस्थाएं 06 माह में विकसित करनी होंगी, अन्यथा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की मान्यता को निरस्त माना जाएगा तथा पृथक से कोई आदेश निर्गत नहीं किया जाएगा। ऐसे मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल स्थायी रूप से समाप्त माने जाएंगे तथा संबंधित ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को स्कूल में संचालित वाहन का नियमानुसार स्वामित्व अंतरण दर्ज कराना होगा व सामान्य वाहनों के प्रति देय कर की अदायगी करनी होगी।

(12) लाइसेंसिंग प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना लाइसेंस में वर्णित परिसर से स्कूल का स्थान परिवर्तन नहीं करेगा।

(13) अपने कार्यालय के प्रमुख स्थान पर निम्नलिखित प्रदर्शित करेगा-

i. लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हेतु जारी लाइसेंस की मूल प्रति।

ii. स्कूल में नियोजित प्रशिक्षकों के नाम, मोबाइल नम्बर, पते (थाना सहित) का विवरण।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- कृपया निजी क्षेत्र में स्थापित मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों के संचालन के लिये मान्यता दिये जाने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

संख्या-15/2023/604(1)/तीस-4-2023-99/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन/प्रशासन/राजस्व), उ0प्र0।
2- समस्त उप परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।